परिवादी हेतु दिनांक 27/4/26 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मसूदगढ़ जिला अजमेर (राज.)

27/4/26

परिवादी एवं अधिवक्ता उपस्थित। अभि. एवं अधिवक्ता उपस्थ
परिवादी द्वारा निरन्तर अवसर प्रदान भी पालन नहीं कराया
गया आदेशिका पर मौका अवसर दिया गया परन्तु पालन नहीं किया।
परिवादी का पालन नहीं करने का मानस बना लिया जाता है।
चूंकि परिवादी पालन नहीं कर रहा। अभि. के बयान अंकित तथा
प्रतिलिपि पालन का औचित्य प्रकट नहीं हुआ। अतः इस अपराध
अपराध हेतु धारा 437A CrPC के तहत राशि रु.10,000/- के जमानत मुचलके
पेश किए जो बाद जांच तक के लिए। पश्चात वाद मुक्ति हेतु
दिनांक 28/4/26 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मसूदगढ़ जिला-अजमेर

पालना होवे।

पालना